न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,हिण्डौन जिला करौली

तारीख रजू:— 09.05.2022

मुकदमा नं0 82/2022

पीठासीन अधिकारी :— अनूपसिंह

R.A.S.

ओमप्रकाश पुत्र बाबूलाल जाति वैश्य निवासी एफ—20, मोहन नगर हिण्डौन सिटी, स्टेशन रोड हिण्डौन सिटी ———————————————————— सायल

बनाम

1. अशोक कुमार पुत्र बाबूलाल
2. प्रेमदेवी पुत्री बाबूलाल
3. सत्यवती बेबा बाबूलाल

| जाति वैश्य निवासी एफ—20 मोहन नगर हिण्डौन सिटी

4. राजेन्द्र कुमार पुत्र बाबूलाल जाति वैश्य, केयर ऑफ अभय एजेन्सी, बी.ओ.बी. बैंक के पास करौली रोड हिण्डौन सिटी
5. कृष्णकन्हैया पुत्र बाबूलाल जाति वैश्य, निवासी मकान नं0 बी—2/10(बी ब्लॉक, सैक्टर—2 एचएन—10) चित्रकूट नगर (वैशाली), प्रताप मार्केट के सामने, गांधी पथ मैन रोड, जयपुर —302021
6. विद्यावती पुत्री बाबूलाल पत्नि कैलाश कुमार जाति वैश्य निवासी—156 नसिया कोलोनी गंगापुर सिटी जिला सवाईमाधोपुर
7. लैण्ड होल्डर तहसीलदार, तहसील हिण्डौन सिटी जिला करौली
8. सब रजिस्ट्रार, तहसील हिण्डौन जिला करौली —————— गैरसायलान

प्रार्थना—पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थित :— 1. श्री पी0एल0 गोयल एडवोकेट सायल
2. श्री नरेन्द्रसिंह जादौन एडवोकेट गैरसायल सं01ता6

निर्णय

दिनांक :—15.09.2022

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि उपरोक्त उनवानी दावा हाजा सायल की ओर से गैरसायलान के विरूद्ध बाबत् तकास्मा व स्थायी निषेधाज्ञा न्यायालय में मजबूत आधारों पर पेश कर दिया है, जिसमें सायल को सफलता मिलने की पूर्ण उम्मीद है।

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

प्रार्थना पत्र के मद नं02 में दर्ज किया है कि आराजी खसरा नम्बर 1209 रकबा 0.52 है0, 1210 रकबा 0.26 है0, 1211 रकबा 0.24 है0, 1212 रकबा 0.53 है0, 1214 रकबा 0.35 है0, 1215 रकबा 0.26 है0, 1216 रकबा 0.34 है0, कुल किता 7 कुल रकबा 2.50 है0 स्थित कस्बा हिण्डौन तहसील हिण्डौन है।

प्रार्थना पत्र के मद नं03 में दर्ज किया है कि खसरा नम्बर 1206 रकबा 0.01 है0 गै0मु0 कुआ, खसरा नम्बर 1207/1 रकबा 1.39 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 1.40 है0 स्थित कस्बा हिण्डौन तहसील हिण्डौन है।

प्रार्थना पत्र के मद नं04 में दर्ज किया है कि आराजी मुतजिका मद नं0 2 व 3 प्रार्थना पत्र सायल एवं गैरसायल सं01 ता 6 के पिता बाबूलाल पुत्र गोपीलाल की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी रही है तथा बाबूलाल के स्वर्गवास होने के उपरान्त उक्त आराजी सायल एवं गैरसायल नं01 ता 6 स्व0 बाबूलाल के वारिस होने से उक्त आराजी उनकी खातेदारी में दर्ज हो गयी। इस प्रकार उपरोक्त आराजीयात सायल एवं गैरसायल नं01 ता 6 की पैत्रिक आराजी रही है।

प्रार्थना पत्र के मद नं05 में दर्ज किया है कि आराजीयात मुतजिका मद नं0 2 व 3 प्रार्थना पत्र में सायल एवं गैरसायल सं01 ता 6 प्रत्येक 1/7 हिस्से का खातेदार काश्तकार है। इस प्रकार उक्त आराजीयात सायल एवं गैरसायलान की संयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी है तथा सायल एवं गैरसायलान उक्त आराजीयात का संयुक्त रूप से अपने हिस्से के अनुरूप काबिज व दखील होकर उसका उपयोग उपभोग करते चले आ रहे हैं। इस प्रकार सायल का प्रथम दृष्टया केस बखूबी साबित है।

प्रार्थना पत्र के मद नं06 में दर्ज किया है कि आराजीयात मुतजिका मद नं0 2व3 प्रार्थना पत्र का सायल एवं गैरसायल नं01 ता 6 के मध्य विधिवत तकास्मा नहीं हुआ है, इसलिए सायल एवं गैरसायल सं01 ता 6 के मध्य अक्सर अपने हिस्से को लेकर आपसी तनाजा बना रहता है। बाका दिनांक 03.05.2022 का है कि सायल मौके पर अपने हिस्से की भूमि की साफ सफाई हेतु देखभाल करने गया तो मौके पर गैरसायल नं01 व 4 आ गये और सायल से कहा कि तुम जमीन पर क्यों आए हो, हम तो इसमें प्लाटिंग कर प्लाटों का बेचान करेंगें तो सायल ने कहा कि अभी हमारा विधिवत बंटवारा नहीं हुआ है, पहले भूमि का बंटवारा करा लो, उसके बाद तुम अपने हिस्से में कुछ भी करना, तो इतने में ही गैरसायलान नाराज हो गये और ऐलानियॉ धमकी दी कि भूमि में प्लाटिंग कर उसे कृषि से अकृषि में बदल देंगें, भूमि को भू–माफियों को विक्रय कर उनका कब्जा करा देंगे, तुम्हें लट्ठ के बल पर बेदखल कर देंगें, तुमसे बने सो कर लेना और विधिवत बंटवारा कराने से इन्कार कर दिया। समझाने पर भी गैरसायलान मानने

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

को तैयार नहीं है। अगर गैरसायलान अपने नापाक इरादों में कामयाब हो गये तो सायल को अकथनीय क्षति होगी, जिसकी क्षतिपूर्ति इन टर्मस ऑफ मनी सम्भव नहीं हो सकेगी तथा सुविधा का सन्तुलन भी सायल के हक में बखूबी साबित है।

अतः प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पेश कर निवेदन किया है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर गैरसायलान को दौराने वाद इस अम्र की अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि आराजी खसरा नम्बर 1209 रकबा 0.52 है0, 1210 रकबा 0.26 है0, 1211 रकबा 0.24 है0, 1212 रकबा 0.53 है0, 1214 रकबा 0.35 है0, 1215 रकबा 0.26 है0, 1216 रकबा 0.34 है0, 1206 रकबा 0.01 है0 गै0मु0 कुआ, 1207/1 रकबा 1.39 है0 स्थित कस्बा हिण्डौन में सायल का 1/7 हिस्से से उसे जबरन लट्ठ के बल पर बेदखल नहीं करें तथा भूमि को बिना तकास्मा कराये दीगर लठैत लोगों को रहन वय नहीं करें और ना ही कोई दस्तावेज पंजीकृत करावें तथा भूमि को कृषि से अकृषि में नहीं बदलें तथा ऐसा कोई कृत्य नहीं करें, जिससे सायल के उपरोक्त आराजीयात में उसके हक, हकूकों व हिस्से को कोई क्षति किसी प्रकार की पहुँचे तथा सायल को उक्त आराजीयात में उनके उपयोग उपभोग में कोई मजाहमत मदाखलत ना तो स्वंय पैदा करें और ना ही किसी अन्य से करावें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायलान को जरिये नोटिस तबल किया गया। गैरसायल सं01 ता 6 बाद तामील जरिये अधिवक्ता उपस्थित आये तथा जबाव प्रार्थना पत्र पेश कर जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं01,2,3,4 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र के मद नं01,2,3,4 स्वीकार है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं05 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र के मद नं05 स्वीकार है। लेकिन सायल का कोई प्रथम दृष्टया केस किसी भी प्रकार से प्रमाणित नहीं है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं06 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र के मद नं06 में वर्णित आराजीयात मुतजिका मद नं02 व 3 प्रार्थना पत्र का सायल एवं गैरसायल सं01 ता 6 के मध्य कोई विधिवत तकास्मा नहीं होना स्वीकार है लेकिन उक्त आराजी के तकास्मा करवाने के सम्बन्ध में सायल एवं गैरसायल सं01 ता 6 के मध्य किसी प्रकार का कोई विवाद कभी नहीं रहा है। ना ही कभी एक दूसरे के हिस्से को लेकर कोई विवाद हुआ है। दिनांक 03.05.2022 को सायल की गैरसायल सं01 ता 4 से उक्त आराजी पर उक्त मद में वर्णित कोई वार्तालाप नहीं हुआ है। गैरसायल सं01 ता 4 द्वारा उक्त आराजी को प्लाटों के रूप में बेचान करने की कोई सायल से नहीं की। गैरसायल सं01 ता 4 या 5 व 6 द्वारा सायल से उक्त आराजी के विधिवत बंटवारा करवाने से कभी इंकार नहीं किया है। गैरसायल सं01 ता 4 ने सायल को उक्त मद में वर्णित धमकी कभी नहीं दी, और

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

ना ही बंटवारा करने से इंकार किया। शेष तथ्य सायल द्वारा महज गैरसायल सं01 ता 6 को हैरान परेशान करने एवं परिवार की प्रतिष्ठा को क्षति पहुँचाने के लिए प्रार्थना पत्र हाजा पेश करने के लिए काल्पनिक व झूंठे दर्ज किये हैं, जो स्वीकार नहीं है। गैरसायल सं01 ता 6 द्वारा सायल को दिनांक 03.05.2022 को या अन्य किसी दिन उक्त मद में वर्णित कोई धमकी नहीं दी है ना ही संयुक्त आराजी का विधिवत तकास्मा कराने से इंकार किया है। गैरसायल सं01 ता 6 द्वारा उक्त प्रकरण के मूल वाद में भी आज ही इकबालिया जबाव पेश कर संयुक्त आराजी के विधिवत तकास्मा बाबत् अपनी सहमति दी है। इसलिए जब सभी सहखातेदार, सायल के मूल वाद में वादग्रस्त संयुक्त आराजी का मीट एण्ड बाउण्ड के अनुसार विधिवत तकास्मा कराने के लिए सहमत हैं तो ऐसी स्थिति में सायल को किसी प्रकार की कोई अपूर्तनीय क्षति होने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है, उक्त प्रकरण में वादग्रस्त आराजी के सायल मात्र 1/7 हिस्से के ही खातेदार काश्तकार है, जबकि गेरसायल सं01 ता 6 उक्त आराजी में 6/7 हिस्से के खातेदार काश्तकार है। इसलिए उक्त प्रकरण में सुविधा का सन्तुलन सायल के पक्ष में प्रमाणित न होकर, गैरसायल सं01 ता 6 के पक्ष में प्रमाणित है।

उज्रात मजीद :– जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं07 में दर्ज किया है कि संयुक्त आराजी खसरा नम्बर 1209 रकबा 0.52 है0, 1210 रकबा 0.26 है0, 1211 रकबा 0.24 है0, 1212 रकबा 0.53 है0, 1214 रकबा 0.35 है0, 1215 रकबा 0.26 है0, 1216 रकबा 0.34 है0, 1206 रकबा 0.01 है0 गै0मु0 कुआ, 1207/1 रकबा 1.39 है0 स्थित कस्बा हिण्डौन में सायल हि01/7, गैरसायल सं01 ता 6 प्रत्येक हि0 1/7, 1/7 के रिकोर्डेड खातेदार काश्तकार काबिज व दखील हैं, उक्त आराजी के विधिवत तकास्मा के लिए सायल द्वारा पेश किये गये वाद में गैरसायल सं01 ता 6 द्वारा इकबालिया जबाव पेश कर, मीट एण्ड बाउण्डस के अनुसार विधिवत तकास्मा करने की सहमति व्यक्त की है, विधि की सुस्थापित व्यवस्था के अनुसार रिकोर्डेड सहखातेदार काश्तकार को किसी अन्य सहखातेदार द्वारा संयुक्त आराजी के सम्बन्ध में जरिये स्थगन पाबन्द करवाने का अनुतोष विधितः पोषनीय नहीं है, इसलिए प्रार्थना पत्र सायल काबिले खारिज है। अतः प्रार्थना पत्र सायल मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

वकील सायल ने दस्तावेजी सबूत में फोटो प्रति नकल जमाबन्दी सं0 2071–74 पेश की है।

इसके विपरीत वकील गैरसायलान ने कोई भी दस्तावेजी सबूत पेश नहीं किया है।

वकुलाय फरीकेन उपस्थित। वकुलाय फरीकेन की बहस सुनी गई। वकील सायल ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराया है और सायल का

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया है। इसके विपरीत वकील गैरसायलान ने जवाब प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया है और सायल का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया है।

वकुलाय फरीकेन की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया। सायल की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी सबूत फोटो प्रति नकल जमाबन्दी सं0 2071–74 के अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 1209 रकबा 0.52 है0, 1210 रकबा 0.26 है0, 1211 रकबा 0.24 है0, 1212 रकबा 0.53 है0, 1214 रकबा 0.35 है0, 1215 रकबा 0.26 है0, 1216 रकबा 0.34 है0, कुल किता 7 कुल रकबा 2.50 है0 स्थित कस्बा हिण्डौन तहसील हिण्डौन की खातेदारी अशोक कुमार पुत्र बाबूलाल हिस्सा 1/7, ओमप्रकाश पुत्र बाबूलाल हिस्सा 1/7, कृष्ण कन्हैया पुत्र बाबूलाल हिस्सा 1/7, प्रेमदेवी पुत्री बाबूलाल हिस्सा 1/7, राजेन्द्र कुमार पुत्र बाबूलाल हिस्सा 1/7, विद्यावती पुत्री बाबूलाल हिस्सा 1/7, सत्यवती पत्नि बाबूलाल हिस्सा 1/7, जाति वैश्य निवासी ग्राम खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है।

सबूत फोटो प्रति नकल जमाबन्दी सं0 2071–74 के अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 1206 रकबा 0.01 है0 गै0मु0 कुआ, खसरा नम्बर 1207/1 रकबा 1.39 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 1.40 है0 स्थित कस्बा हिण्डौन तहसील हिण्डौन की खातेदारी अशोक कुमार पुत्र बाबूलाल हिस्सा 1/7, ओमप्रकाश पुत्र बाबूलाल हिस्सा 1/7, कृष्ण कन्हैया पुत्र बाबूलाल हिस्सा 1/7, प्रेमदेवी पुत्री बाबूलाल हिस्सा 1/7, राजेन्द्र कुमार पुत्र बाबूलाल हिस्सा 1/7, विद्यावती पुत्री बाबूलाल हिस्सा 1/7, सत्यवती पत्नि बाबूलाल हिस्सा 1/7, जाति वैश्य निवासी ग्राम खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह स्पष्ट है कि विवादित आराजीयात मुतजिका मद नं02 व 3 प्रार्थना पत्र खसरा नम्बर 1209 रकबा 0.52 है0, 1210 रकबा 0.26 है0, 1211 रकबा 0.24 है0, 1212 रकबा 0.53 है0, 1214 रकबा 0.35 है0, 1215 रकबा 0.26 है0, 1216 रकबा 0.34 है0, 1206 रकबा 0.01 है0 गै0मु0 कुआ, 1207/1 रकबा 1.39 है0 स्थित कस्बा हिण्डौन में सायल हि01/7, गैरसायल सं01 ता 6 प्रत्येक हि0 1/7, 1/7 के रिकोर्डेड खातेदार काश्तकार हैं। पक्षकारान के मध्य बंटवारे को लेकर आपसी विवाद है तथा सायल का कथन है कि गैरसायलान उक्त विवादित आराजीयात में प्लॉटिंग कर कृषि भूमि को अकृषि में परिवर्तित करते हुए बेचान करने पर आमादा हैं। सायल उक्त विवादित आराजीयात में हि0 1/7 का रिकोर्डेड सहखातेदार काश्तकार है तथा सायल उक्त विवादित आराजीयात का रिकोर्डेड सहखातेदार काश्तकार होने के कारण प्रतिवादीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने का अधिकारी साबित

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

है। इस प्रकार प्राईमाफेसी केस, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्तनीय क्षति का बिन्दु सायल के पक्ष में बखूबी साबित है। पक्षकारान के मध्य और विवाद नहीं बने इसलिए उक्त विवादित आराजीयात के रिकार्ड व मौके की स्थिति यथावत बनाये रखना न्यायोचित प्रतीत होता है। ऐसे हालात में सायल का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध गैरसायलान स्वीकार योग्य न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः सायल का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध गैरसायलान स्वीकार किया जाकर गैरसायलान को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा रो साफैसला दावा पाबन्द किया जाता है कि गैरसायलान विवादित आराजीयात खसरा नम्बर 1209 रकबा 0.52 है0, 1210 रकबा 0.26 है0, 1211 रकबा 0.24 है0, 1212 रकबा 0.53 है0, 1214 रकबा 0.35 है0, 1215 रकबा 0.26 है0, 1216 रकबा 0.34 है0, 1206 रकबा 0.01 है0 गै0मु0 कुआ, 1207/1 रकबा 1.39 है0 स्थित कस्बा हिण्डौन में सायल को उसके 1/7 हिस्से से जबरन लट्ठ के बल पर बेदखल नहीं करें तथा भूमि को बिना तकास्मा कराये दीगर लठैत लोगों को रहन वय नहीं करें और ना ही कोई दस्तावेज पंजीकृत करावें तथा भूमि को कृषि से अकृषि में नहीं बदलें तथा ऐसा कोई कृत्य नहीं करें, जिससे सायल के उपरोक्त आराजीयात में उसके हक, हकूकों व हिस्से को कोई क्षति किसी प्रकार की पहुँचे तथा सायल को उक्त आराजीयात में उनके उपयोग उपभोग में कोई मजाहमत मदाखलत ना तो स्वंय पैदा करें और ना ही किसी अन्य से करावें। रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखें। पत्रावली फैंसल शुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम की जाकर मूल दावा के साथ शामिल मिसल रहे।

निर्णय आज दिनांक 15.09.2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अनूपसिंह)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन जिला करौली